411.

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(13)ले.ब./परावि/ते.वि.आ./10–11/6312 जयपुर, दिनांक 6.3.2012

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान एवं विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान ग्राम पंचायतों हेतु द्वितीय किश्त की राशि 20101.13 लाख रू. ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में संलग्न सारणीनुसार हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है । इस राशि का उपयोग विभाग द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों पर ही किया जावे । इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:–

(राशि लाखो रूपये में)

मद	राशि
मांग सं. 41 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 198–ग्राम पंचायतों को सहायता (16)तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान [02]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (आयोजना–भिन्न)	19929.95
मांग सं. 41 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 198–ग्राम पंचायतों को सहायता (18)–तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान [02]–कार्यकलाप / गतिविधियां 12–सहायतार्थ अनुदान (आयोजना–भिन्न)	171.18
योग	20101.13

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 331200205 दि.2.3.2012 एंव 331200206 दि. 5.3.2012 के अनुसरण में जारी की जा रही है ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

F:\Dinesh\Copy of TFC-2011-12-1 Ins(August11)\Letter.doc

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. . निदेशक वित्त (आय–व्ययक)विभाग, को भेजकर कर अनुरोध है कि उक्तानुसार व्यवस्था के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने हेतु कोष कार्यालय, सचिवालय को उचित निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें ।
2 . महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर ।
3. विशेषाधिकारी वित्त (व्यय–5) विभाग ।
4. विशेषाधिकारी (आर्थिक मामलात) विभाग ।
5. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी. सी. बिलों के अनुसार चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
7. .... बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित ग्राम पंचायतों के खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तरित करवाने की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें, तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करे।
8. चीफ मैनेजर / ब्रान्च मैनेजर ....बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि सारणी में अंकित ग्राम पंचायतों के सम्मुख अंकित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चेक अविलम्ब "सरपंच, ग्राम पचायत .... पंचायत समिति .... जिला .... " के नाम बनाकर प्रेषित करावें।
9. समस्त चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावें । गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे। यदि किसी भी ग्राम पंचायत के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में किया जाना सम्भव नही हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब " सरपंच ग्राम पंचायत.... ....प.स......................., जिला .... के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक बनाकर प्रेषित कराने का श्रम करावें।
10. समस्त चीफ मैनेजर ,/ ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित प्रकिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा ।.
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर एफ. वी.सी. बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय प्रेषित कर पारित करवाने की तत्काल व्यवस्था करावे।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली तेरहवें वित्त आयोग की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ विकास अधिकारीगण एवं सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा तेरहवे वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यो पर ही किया जावे तथा समस्त विकास अधिकारीगण इस बाबत अपने क्षेत्रस्थ ग्राम पंचायतो को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर दें, ग्राम पचायतवार अन्तरित राशि की सूची ई–मेल से प्रेषित की गई है। अतः तदानुसार प्रिन्ट लेकर विकास अधिकारी एव सरपंच, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित कराये।
13. लेखाधिकारी , जिला परिषद समस्त
14 समस्त विकास अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली तेरहवें वित्त आयोग की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा तेरहवे वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये उक्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत चिन्हित कार्यो पर ही किया जावे, ग्राम पचायतवार अन्तरित राशि की सूची ई–मेल से प्रेषित की गई है। अतः तदानुसार प्रिन्ट लेकर सरपंच, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करावे।
15 .रक्षित पत्रावली ।

शासन सचिव एवं आयुक्त